



**The Uttaranchal Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act,
2003**

Act 8 of 2003

Keyword(s):
Scheduled Castes, Development

Amendment appended: 2 of 2004

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0

ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 179/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग विधेयक, 2003 पर दिनांक 16-4-03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 08, सन् 2003)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

[भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है]

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।
(3) यह अधिसूचित होने के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में—

- (क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित आयोग से है;
(ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
(ग) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;
(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;
(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोग के अध्यक्ष सम्मिलित हैं;
(च) "अनुसूचित जाति" तथा "अनुसूचित जनजाति" का तात्पर्य भारत के संविधान में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से है;
(छ) "अनुसूची" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक से है।

अध्याय—दो

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग का गठन

3. राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी, जिसे उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा।

आयोग की संरचना

4. (1) आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य सभी अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे जिनमें एक सदस्य महिला होगी। अध्यक्ष पद हेतु योग्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के पुरुष अथवा महिला पात्र हो सकते हैं।

(2) सदस्य की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी, जिन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्तियां अधिसूचित आदेश द्वारा की जायेंगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5. (1) प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जब वह पद ग्रहण करे, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।

(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति—

- (क) अनुमोचित दिवालिया हो जाय;
(ख) किसी अपराध के लिए जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गुप्त हो, सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय;
(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय;
(घ) कार्य करने से इन्कार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय;
(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हित या लोकहित के लिये हानिकारक हो जाय परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(5) सदस्यों को देय वेतन और भत्तों और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।

6. (1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिये आवश्यक हो।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाय।

7. सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का और धारा 6 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन को सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक व्ययों का भुगतान धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

8. आयोग के गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य न होगी।

9. (1) आयोग जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का वरिष्ठतम सदस्य, जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे, द्वारा तब तक निर्वहन किया जायेगा, जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या यथास्थिति विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं सम्मालता है।

(4) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

10. राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रमाणित करने वाले समस्त मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय-तीन

आयोग के कृत्य और शक्तियाँ

11. (1) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना;

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

वेतन और भत्तों का भुगतान अनुदान से किया जाएगा

रिक्तियाँ आदि आयोग की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं करेगी

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

राज्य सरकार का आयोग से परामर्श करना

आयोग के कर्तव्य एवं कृत्य

- (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;
- (ग) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
- (ङ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में जो सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करना;
- (च) अनुसूची जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायें, निर्वहन करना।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के समक्ष आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।

आयोग की शक्तियां

12. किसी बात का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी अर्थात् :-

- (क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने;
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने;
- (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने; और
- (च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय।

अध्याय-चार

वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

13. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक विनियोजन किये जाने के पश्चात् आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

(2) आयोग ऐसी राशि को जैसी वह अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिए उचित समझे, खर्च कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय समझा जायेगा।

लेखा और लेखा-परीक्षा

14. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा।

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी जो उसका लेखा-परीक्षण करवायेगी।

15. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का पूरा लेखा दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट
की

16. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गयी कार्यवाही के ज्ञापन के साथ और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट यथाशक्य जैसे ही वे प्राप्त हों, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट
और लेखा-
परीक्षा रिपोर्ट
राज्य विधान
मण्डल के
समक्ष रखी
जायेगी।

अध्याय-पांच

प्रकीर्ण

17. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

आयोग के
अध्यक्ष, सदस्य
और कर्मचारी
लोक सेवक
होंगे
शास्त्र

18. जो कोई धारा 12 के अधीन आयोग के किसी आदेश का पालन करने में विधिक रूप से बाध्य होते हुए जानबूझकर ऐसा नहीं करता है, सिद्ध दोष होने पर यथास्थिति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।

19. कोई न्यायालय, अध्यक्ष या किसी सदस्य या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राप्ति कृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर संज्ञान के सिवाय धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अपराधों का
संज्ञान

20. किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सम्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

संभावपूर्वक
की गयी
कार्यवाही पर
संरक्षण

21. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने
की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को और धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;

(ख) धारा 12 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा;

(घ) प्रपत्र जिसमें और समय जब धारा 15 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी; और

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

22. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तरांचल राज्य अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

निरसन और अपवाद

23. (1) उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2001 का निरसन

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध कभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 08 of 2003).

No. 179/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR THE SCHEDULED
CASTES AND SCHEDULED TRIBES ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT No. 08 OF 2003)

AN
ACT

[BE IT enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows]

CHAPTER--1

Preliminary

Short title,
Extent and
Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 2003.

(2) It extends, to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force on the date of publication.

2. In this Act--

Definitions

- (a) "Commission" means the Commission constituted under section 3;
- (b) "The Governor" means the Governor of Uttaranchal;
- (c) "The State" means Uttaranchal State;
- (d) "The State Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (e) "Member" means a member of the Commission and includes the Chairman of the Commission;
- (f) "The Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" means the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as notified in the constitution of India;
- (g) "Schedule" means schedule-one of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

CHAPTER--II

The Uttaranchal Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

3. The State Government shall constitute a body to be known as the Uttaranchal Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to exercise the powers conferred on and to perform the function assigned to it under this Act.

Constitution of the Commission

4. (1) The Commission shall consist of a Chairman and Two members. Chairman and Members of the Commission, all, will belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst which a member will be a woman. For the post of Chairman, an eligible male or female belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be considered.

Composition of the Commission

(2) The Members shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing, who have had a record of selfless services to the cause of justice for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(3) The appointment under sub-section (1) shall be made by a notified order.

5. (1) Every Member shall hold office for a term of three years from the date, he assumes office.

Terms of office and conditions of service of Members

(2) A member may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign from his office.

(3) The State Government shall remove person from the office of Member if that person--

- (a) becomes an undischarged insolvent;
- (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;
- (c) become of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (d) refuses to Act or become incapable of acting;
- (e) is without obtaining leave of absence from the Commission absent from three consecutive meetings of the Commission or;
- (f) has in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or the public interest :

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(5) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of services of, the Members shall be such, as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

6. (1) The State Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of services of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants

7. The salaries and allowances payable to the Member and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 6, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 13.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Commission

8. No Act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission

9. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such times and place as the Chairman may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) If the office of the Chairman becomes vacant or if the Chairman is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until he or the new Chairman assumes office, as the case may be, be discharged by the senior member as directed by the State Government.

(4) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated to the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised on his behalf.

State Government to consult Commission

10. The State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

CHAPTER III

Functions and Powers of the Commission

Duties and the functions of the Commission

11. (1) It shall be the duty of the Commission :-

- (a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the workings of such safeguards;
- (b) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- (c) to participate and advise on the planning process of socio economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and evaluate the progress of their development;
- (d) to present to the State Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

- (e) to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the State Government for the affective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and;
- (f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare, development and advancement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before State Legislature alongwith a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for the non-acceptance, if any, of the such recommendations.

12. The Commission shall, while investigating any matter referred to in clause (a) or inquiring into any complaint referred to in clause (b) of sub-section(1) of section 11 have all the power of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely :-

Power of the Commission

- (a) summoning and enforcing attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (e) issuing Commission for the examinations of witness and documents and;
- (f) any other matter that may be prescribed.

CHAPTER-IV

Finance, Accounts and Audit

13. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purpose of this Act.

Grants by the State Government

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

14. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

Accounts and Audit

(2) A copy of the annual statement of account shall be forwarded to the State Government which shall cause it to be audited.

15. The Commission shall prepare, in such form and at such time for each financial year, as may be prescribed, its annual reports, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual Report

16. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission and the reason for the non-acceptance, if any, of such advice, and the audit report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the State Legislature.

Annual Report and Audit Report to be laid before the State Legislature

CHAPTER--V

Miscellaneous

Chairman,
Members and
Employees of
the Commission
to be public
servant
Penalty

17. The Chairman, Members and Employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Cognizance of
offences

18. Whoever being legally bound to obey any order of the Commission section 12, intentionally omits to do so, shall on conviction be punished under section 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of Indian Penal Code, 1860 as the case may be.

19. No court shall take cognizance of an offence specified in section 18 except on a complaint in writing of the Chairman or a Member or of an officer authorised by the Commission in this behalf.

Protection of
action taken in
good faith

20. No, suit prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under.

Power to make
rules

21. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generally of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely—

- (a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Members under sub-section (5) of section 5 and the officers and other employees under sub-section (3) of section 6;
- (b) any other matter under clauses (f) of section 12;
- (c) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (1) of section 14;
- (d) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 15;
- (e) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Power to
remove
difficulties

22. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttaranchal Act.

Repeal and
Savings

23. (1) The Uttaranchal Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 2001 is hereby repealed.

Repealing of
Uttaranchal
Scheduled
Caste,
Scheduled
Tribe and Other
Backward
Classes Act,
2001

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Act referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done and taken under the provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 28 फरवरी, 2004 ई0

फाल्गुन 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 46/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 28 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 27-02-2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 02, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन)
अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 02, सन् 2004)

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए :-

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलाएगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

- (2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।
- (3) यह तत्काल प्रभावी होगा।
- मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) का संशोधन
2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :-
शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "तथा उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।
- मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन
3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :-
आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सभी अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे जिनमें एक सदस्य महिला होगी। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के योग्य पुरुष अथवा महिला पात्र हो सकते हैं।
- मूल अधिनियम की धारा 5, 17 एवं 19 में संशोधन
4. मूल अधिनियम की धारा 5, 17 एवं 19 में जहाँ-जहाँ शब्द "अध्यक्ष तथा सदस्य" आया है, वहाँ शब्द "अध्यक्ष" के बाद "उपाध्यक्ष" भी पढ़ा जाएगा।
- मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) का संशोधन
5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :-
जहाँ शब्द "वरिष्ठतम सदस्य" आया है वहाँ शब्द "उपाध्यक्ष" पढ़ा जाएगा।
- मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एक नई उपधारा (5) का जोड़ा जाना
6. यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।

आज्ञा से,
बी० लाल,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 02 of 2004) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on February 27, 2004.

No. 46/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, February 28, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED
TRIBES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT. NO. 02 OF 2004)

to further amend The Uttaranchal Scheduled Castes And Scheduled Tribes
Commission Act, 2003.

An
Act

BE IT enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title,
Extent and
Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends, to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Clause (e) of section 2 of the Principal Act shall be amended as follows :-

The words "and Vice-Chairman" shall be added after the word "Chairman."

Amendment of clause (e) of section 2 of the Principal Act

3. The sub-section (1) of section 4 of the Principal Act shall be substituted by the following sub-section :-

"The Commission shall consist of a Chairman, a Vice-Chairman and five Members. Chairman, Vice-Chairman and all Members of the Commission, will be from amongst Scheduled Castes and Scheduled Tribes including one woman member. Any male or female member belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be eligible for the post of Chairman and Vice-Chairman.

Substitution of sub-section (1) of section 4 of the Principal Act

4. Wherever the words 'Chairman and Members' occur in section 5, 17 & 19 of the Principal Act, shall be read as "Vice-Chairman" after the word Chairman.

Amendment in the section 5, 17 & 19 of the Principal Act

5. In sub-section (3) of section 9 of the Principal Act shall be amended as follows :-

Wherever the words 'senior member' occur, shall be read as 'Vice-Chairman'.

Amendment of sub-section (3) of section 9 of the Principal Act

After sub section (4) of section 9 of the Principal Act, a new sub-section (5) shall be added as follows :-

Addition of new sub-section (5)

6. If the offices of both Chairman and Vice-Chairman become vacant, the duties of the office of Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order, direct.

after sub-section (4) of section 9 of the Principal Act

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

